



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127695

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20627/2026

मेहरूनीशा

.....आवेदक

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के लिए अधिवक्ता : मोहम्मद साकिर, मोहमद फरीद

विपक्षी पक्ष(पक्षों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के वकील और उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त सरकारी वकील की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह जमानत अर्जी मुकदमा अपराध संख्या 445/2024 में आवेदक की रिहाई के लिए दायर की गई है। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत थाना-मझोला, जिला-मुरादाबाद में दर्ज है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के वकील का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मुकदमा में झूठा फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि गैंग चार्ट में दिखाए गए एकमात्र मुकदमा में आवेदक ज़मानत पर है और इसके अलावा, उसके खिलाफ कोई और मुकदमा लंबित नहीं है। यह भी बताया गया कि सह-आरोपी रामअवतार को इस न्यायलय की एक खंडपीठ ने आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी नंबर 5019/2026 में 18.3.2026 के आदेश के ज़रिए पहले ही ज़मानत दे दी है।

4. उन्होंने आगे कहा कि संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में, आवेदक पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और इसी तरह के अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ हासिल करने के आरोप अस्पष्ट हैं। साथ ही, यह भी कहा गया कि आरोपी की किसी ऐसी हरकत या चूक के बारे में आरोप न होने पर, जो अधिनियम की धारा 2 के तहत "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा में आती हो, कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं बनती है।

5. उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल नागरिकों से बदला लेने, उन्हें परेशान करने या डराने-धमकाने, या फिर राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब-किताब बराबर करने के हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा लगता है कि ज़िला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने, तारीफ़ पाने या सरकार या सत्ताधारी पार्टी के उच्च अधिकारियों से सराहना हासिल करने के लिए इस कानून के प्रावधानों को लागू किया है, जो कि अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक 'गैंगस्टर्स एक्ट' के तहत अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ज़मानत पर रहने के दौरान

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

8. आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस मामले में 04.06.2022 से जेल में बंद है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह कानून से भाग जाएगा या निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं होगा। साथ ही, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गिरोह चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत की हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे में सहयोग करेगी।

10. विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने के अनुरोध का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक जमानत पर है। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गिरोह की सदस्य है और अपराध करने की आदी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगी और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और डराकर जमानत का दुरुपयोग करेगी।

11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक--

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ख) जहाँ सरकारी वकील अर्जी का विरोध करते हैं, वहाँ कोर्ट को यह यकीन हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

12. उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) को ध्यान में रखते हुए, मैंने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, गैंग-चार्ट में बताए गए अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक के आपराधिक बैकग्राउंड पर विचार किया है।

13. यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713 मामले में, कई फैसलों में यह माना गया कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत आज़ादी के सुरक्षा दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता शामिल है, बल्कि न्याय तक पहुँच और त्वरित सुनवाई भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली) बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में, यह माना गया कि विचाराधीन कैदियों को सुनवाई लंबित रहने तक अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति को अपने कार्यों के बुरे परिणामों का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के समक्ष वे साबित न हो जाएँ। हालाँकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण, जहाँ प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने और सुनवाई लंबित रहने के दौरान संभावित अपराधी के खुले घूमने से समाज को होने वाले

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जोखिम को कम करने की आवश्यकता होती है, अदालतों को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई लंबित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और आरोपी ने काफी समय तक जेल में बिताया है, तो अदालतें आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होती हैं।

14. ऊपर बताई गई पक्षों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य और शीर्ष अदालत के फैसलों - **दताराम सिंह बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य, (2018) 3 एससीसी 22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. व अन्य, एस.एल.पी.(क्रिमिनल) No. 5191 of 2021** - को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

15. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल याचिकाकर्ता **मेहरुनिसा** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

(i) याचिकाकर्ता को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह कोर्ट में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगी। अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता /269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता /84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता /209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो निचली अदालत इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय निचली अदालत के न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026

फहद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”